



कलियुगं नृणां निर्माणं

# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक.....<sup>१५</sup>...../2016

दिनांक १५/०३/2016


विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट की समयावधि बढ़ाने बाबत।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत आबंटित भवनों के आवेदकों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज में दी रही छूट के संबंध में मण्डल के प्रक्षेत्र कार्यालयों के संपदा अधिकारियों द्वारा ब्याज में छूट की समयावधि को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है। स्ववित्तीय योजनांतर्गत बकायादारों द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने में समय लग रहा है तथा अनेक हितग्राहियों द्वारा अभी भी राशि जमा करने हेतु रुचि ली जा रही है।

अतः आवेशित किया जाता है कि वर्तमान तक की अवशेष किश्तों की संपूर्ण राशि हितग्राहियों द्वारा एक बार में जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 31 मार्च 2016 तक प्रभावशील रहेगी।

समस्त संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय बकायादारों को सूचना पत्र जारी कर तथा शिविर आयोजित कर वसूली कि सक्षम कार्यवाही उक्त अवधि में करें तथा दैनिक प्रगति से मुख्यालय को अवगत करावे।

  
आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
रायपुर 17/3


पृ.क्र. 642/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-183/16 रायपुर, दिनांक १५/०३/2016

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्थावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।

क्रमशः-02

6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी,संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/ 02/ 03, रायपुर / दुर्ग / जगदलपुर / बिलासपुर/ रायगढ़ / कोण्डागांव / अंबिकापुर / कोरबा / कवर्धा / महासमुन्द / धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-01,02 रायपुर / संभाग-दुर्ग/परि.संभाग-दुर्ग / राजनांदगांव / कोरबा / रायगढ़ /बिलासपुर/ जगदलपुर / अंबिकापुर / कोण्डागांव / कवर्धा / महासमुन्द / धमतरी/ विद्युत संभाग-01,नया रायपुर/ विद्युत संभाग-02,मुख्यालय रायपुर / विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

  
आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
रायपुर